

बैंक की परिभाषा

" बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है, एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है।" इस तरह, बैंक ऐसी संस्था है जो अपने

ग्राहकों के लिए धन सम्बन्धी लेन-देन के सब कार्य करती है

भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(स) के अनुसार, "बैंकिंग से आशय ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से जमा प्राप्त करना है जिसे मांग पर अथवा अन्य किसी आज्ञा द्वारा वापस लिया जा सके।"

भारत में बैंकिंग प्रणाली का उद्गम 2 जून 1806
में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ ।

19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के
तहत प्रेसीडेंसी बैंकों, 2 जनवरी 1809
बैंक ऑफ बंगाल, 15 अप्रैल 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे और 1
जुलाई 1843 बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गयी ।

27 जनवरी 1921 में, प्रेसीडेंसी बैंकों का विलय कर दिया गया और **इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया** नामक एक नया बैंक बनाया गया।

इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में भारतीय स्टेट बैंक बना।

24 April 1865 में इलाहाबाद में पहली भारतीय
स्वामित्व वाली इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी।

19 May 1894, Lahore, Pakistan
में, पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया था।

बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 September 1906 में
मुंबई में हुई थी।

1906 और 1913 के बीच केनरा बैंक, इंडियन बैंक , सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ मैसूर वाणिज्यिक बैंक स्थापित किए गए ।

भारतीय केंद्रीय बैंक, आरबीआई हिल्टन-यंग आयोग की सिफारिश पर 1935 में स्थापित किया गया था।

उस समय, बैंकिंग प्रणाली केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित रहा तथा ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की जरूरत पूरी तरह से उपेक्षित थी।

स्वतंत्रता के समय, संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र निजी स्वामित्व में था। देश की ग्रामीण आबादी को अपनी आवश्यकताओं के लिए छोटे उधारदाताओं पर निर्भर होना पड़ता था। इन

मुद्दों को हल करने और अर्थव्यवस्था का बेहतर विकास करने के लिए भारत सरकार ने 1949 में भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया।

1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act, 1949) लागू किया गया।

राष्ट्रीयकरण अवधि (1969 से 1991) - 19 जुलाई, 1969 में, भारत सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिनके जमा-पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी।

इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक
ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ
इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज
बैंक, इंडियन बैंक, संयुक्त बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया, यूको बैंक

राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली बेहद विकसित हुई लेकिन समाज के **ग्रामीण, कमजोर वर्ग और कृषि को अभी** भी सिस्टम के तहत कवर नहीं किया गया था। इन मुद्दों को हल करने के लिए, **1974** में **नरसिंहम समिति** ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना की सिफारिश की थी। **2 अक्टूबर**

1975 को, आरआरबी को ग्रामीण और कृषि विकास के लिए ऋण की मात्रा

बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

वर्ष 1980 में छह और बैंकों को और अधिक राष्ट्रीयकृत किया गया। राष्ट्रीयकरण की दूसरी लहर के साथ,

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने का लक्ष्य भी 40% तक बढ़ाया गया।

आंध्र बैंक, निगम बैंक, नई बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक

उदारीकरण चरण - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार के लिए, भारत सरकार

ने श्री एम नरसिंहम की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की। एम नरसिमहम समिति ने देश में बैंकिंग प्रणाली को सुधारने के लिए कई सिफारिश की। जिनमे से कुछ प्रमुख है-

- सिफारिशों का प्रमुख जोर बैंकों को प्रतिस्पर्धी और मजबूत बनाने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए अनुकूल बनाना था।
- समिति ने बैंकों के और अधिक राष्ट्रीयकरण न करने का सुझाव दिया।

- विदेशी बैंकों को भारत में या तो शाखाओं या सहायक कंपनियों के रूप में कार्यालय खोलने की अनुमति दी गयी।
- बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, समिति ने सुझाव दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी

क्षेत्र के बैंकों को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए।

- इस बात पर बल दिया गया कि बैंकों को बैंकिंग के रूढ़िवादी और पारंपरिक प्रणाली को छोड़ने और मर्चेन्ट बैंकिंग और अंडरराइटिंग, रिटेल बैंकिंग जैसे

प्रगतिशील कार्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- अब, विदेशी बैंकों और भारतीय बैंकों ने इन और अन्य नए प्रकार के वित्तीय सेवाओं में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

बैंकों के प्रकार

उद्देश्य के आधार पर आधुनिक बैंकों के प्रमुख स्वरूप इस प्रकार है

(1) केन्द्रीय बैंक-प्रत्येक देश में एक केन्द्रीय बैंक होता है जो देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप पत्र-मद्रा का निर्गमन, साख तथा बैंकिंग व्यवस्था का नियन्त्रण एवं नियमन व मौद्रिक नीति का संचालन करता है। यह

सरकार का वित्तीय प्रतिनिध, परामर्शदाता तथा बैंकर होता है। यह देश का शीर्ष बैंक होता है। यह व्यापारिक बैंकों की रकमें जमा करता है तथा उन्हें ऋण भी देता है। इस बैंक से जनता का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता, इसलिए इस बैंक में व्यक्तिगत खाते नहीं खोले जाते। भारत में सन् 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है।

(2) व्यापारिक बैंक- जो बैंक सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं वे व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। व्यापारिक बैंक प्रायः संयुक्त स्कंध बैंक होते हैं, अर्थात् इनकी पूंजी अंशों में बंटी रहती है वे अंश अनेक व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा खरीदे हुए होते हैं। व्यापारिक बैंक धन जमा करने, ऋण देने, चेकों का संग्रहण एवं भुगतान करने एवं एजेन्सी सम्बन्धी अनेक कार्य करते हैं।

(3) औद्योगिक बैंक उद्योगों को माध्यम एवं दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु औद्योगिक बैंकों की स्थापना की जाती है। ये बैंक अंश, ऋणपत्र तथा बॉण्ड आदि प्रतिभूतियों को जारी करके पूंजी प्राप्त करते हैं। इन बैंकों को केन्द्रीय बैंक, सरकार तथा विदेशी बैंकों से भी ऋण प्राप्त हो जाते हैं ताकि उद्योगों को देशी तथा विदेशी मुद्राओं में ऋण उपलब्ध कराया जा सक। औद्योगिक कप

से ऋण देने के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थाओं के अंश, ऋणपत्र, बॉण्ड्स आदि के विक्रय में भी सहयोग करते हैं तथा कभी-कभी इनके ऋणपत्रों का अभिगोपन करके उन्हें पूंजी प्राप्त करने में सहायक होते हैं भारत में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, IDBD, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम (ICICI), भारतीय औद्योगिक पूंजी निवेश बैंक लिमिटेड GIRITA राज्य वित्त निगम आदि

औद्योगिक बैंकों के उदहारण है। इन संस्थाओं को विकास बैंक में भी कहते है।

(4) विनियोग बैंक-जन साधारण की अति अल्प बचतों को एकत्र करके उन्हें लाभप्रद ढंग से विनियोजित करने वाली संस्थाओं को 'विनियोग बैंक' कहते हैं। भारत में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, जीवन बीमा निगम, म्युचुअल फण्ड्स आदि विनियोग बैंक के रूप में कार्य करते हैं।

(5) विदेशी विनिमय बैंक-ऐसे बैंकों का प्रमुख कार्य विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय, विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था तथा विदेशी भुगतान को निपटाने की व्यवस्था करना है।

(6) सहकारी बैंक-सहकारी बैंकों का विकास विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की साख की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हुआ है। सहकारी बैंकों की स्थापना प्रत्येक राज्य के अधीन सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है।

सहकारी बैंक राज्य सरकार की बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करते हैं। इन बैंकों पर रिजर्व बैंक का आंशिक नियंत्रण ही होता है। ये और व्यापारिक बैंकों के समान ही कार्य करते हैं। परन्तु इनकी संरचना एवं स्वामित्व व्यापारिक बैंकों से भिन्न होता है। सहकारी बैंकों का कार्य प्रजातन्त्रात्मक ढंग से किया जाता है।

(7) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-भारत में ग्रामीण क्षेत्र की साख की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अभ्युदय 2 अक्टूबर, 1975 से हुआ। इन बैंकों की स्थापना 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के द्वारा की गयी और ये बैंक सामान्य बैंकिंग कारोबार करते हैं तथा इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तथा छोटे उधारकर्ताओं की आवश्यकता पूरी करना है।

इनकी निर्गमित पूंजी का 50% केन्द्र सरकार द्वारा, 15% राज सरकार द्वारा तथा 35% प्रायोजक बैंक द्वारा अभिदत्ता होती है। इन बैंकों का प्रबन्ध एक निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। इन बैंकों की जमा राशियों का बीमा 'जमा राशि बीमा तथा ऋण गारण्टी निगम' द्वारा किया जाता है।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक वह होती है जिनका उद्देश्य संकटकाल में सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विवादों को सुलझाना है। विश्व बैंक (World Bank), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund), अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association), आदि अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के उदाहरण हैं।

इन बैंकों का प्रमुख कार्य विभिन्न देशों के मध्य मौद्रिक सहयोग स्थापित करना, सदस्य देशों के लिए कुल ऋण की व्यवस्था करना तथा ऋणों के सम्बन्ध में गारण्टी देना, विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना तथा सदस्य देशों के संतुलित आर्थिक विकास में सहयोग देना है।

(9) देशी बैंकर (Indigenous Bankers)-भारतीय
बैंकिंग जांच समिति के अनुसार, "देशी बैंकर (या बैंक) वह व्यक्ति या व्यक्तिगत फर्म है जो जमाएं स्वीकार करने, हुण्डियों में व्यापार करने और ऋण देने का कार्य करती है।" भारत में महाजन, साहूकार आदि कृषि व व्यापार आदि के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं और इन्हें प्रायः देशी बैंकर के रूप में जाना जाता है परन्तु भारतीय बैंकिंग

कम्पनी अधिनियम ने इन्हें 'बैंक' अथवा 'बैंकर' का दर्जा नहीं प्रदान किया है। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनका योगदान महत्वपूर्ण है।

आधुनिक बैंकों (व्यापारिक बैंकों) के कार्य

(1) जमाएं अथवा निक्षेप स्वीकार करना।

(2) ऋण अथवा उधार देना।

(3) एजेन्सी अथवा प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कार्य करना।

(5) विविध कार्य सम्पत्ति की सुरक्षा, विदेशी विनिमय की व्यवस्था, यात्री चेक तथा साखपत्रों की सविधा, उपभोग साख । प्रदान करना, आंकड़ों का संग्रह एवं प्रशिक्षण आदि।

आधुनिक बैंकों के नवीन कार्य-भारत में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों की कार्य प्रणाली में काफी परिवर्तन हुआ है। विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने न केवल अपनी

शाखाओं का विस्तार किया है बल्कि देश के आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है। यह बैंक ग्रामीण विकास, उद्योगों के विस्तार, लघु एवं कटीर उद्योगों के विकास, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय, आवास निर्माण, म्यूचुअल फण्ड के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को चाल करने आदि। में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित बैंक -अनुसूचित बैंक वे है जिनका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित होता है। रिजर्व बैंक किसी बैंक का नाम द्वितीय अनुसूची में तभी शामिल करता है जब

- (i) वह भारत में बैंकिंग व्यवसाय करता हो
- (ii) उस बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा रक्षित कोष मिलाकर 5 लाख रुपया या उससे अधिक हो।

(iii) रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि सम्बन्धित बैंक के कार्यकलाप जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध नहीं है तथा वह की बैंकिंग नीति के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा है।

गैर-अनसूचित बैंक वे हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में नहीं होता है।

बैंकों का व्यावसायिक महत्त्व

आधुनिक समय में बैंक अर्थव्यवस्था के केन्द्र बिन्दु, संचालक एवं नियन्त्रक के रूप में कार्य करते हैं और आर्थिक विकास में भारी योगदान देते हैं।

(i) बचतों को एकत्रित कर उनको उत्पादक कार्य में लगाता है।

(ii) एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुद्रा के प्रेषण में सहायता करता है।

(iii) विदेशी व्यापार में सहायक है।

(iv) व्यापार एवं उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप मद्रा प्रणाली को लोचपूर्ण बनाता है।

(v) धन की सुरक्षा करता है।

(vi) व्यावसायिक भुगतान में सहायता करता है।

(vii) साखपत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देता है।

(viii) साख निर्माण कर औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास में सहायता पहुंचाता है।

(xi) सरकार के वित्तीय कार्यों में सहायता करता है।

(x) उपभोक्ता ऋण निर्गत कर लोगों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि करता है।

विकासशील देशों में व्यावसायिक बैंकों की भूमिका—

(i) पूंजी निर्माण में सहायक।

(ii) व्यापार एवं उद्योग के विकास में सहायता।

(iii) प्राथमिक क्षेत्रों को सहायता।

(iv) दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करना।

(v) आर्थिक विकास हेतु सस्ती दर पर पर्याप्त साख की व्यवस्था करना।

व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण (NATIONALISATION OF COMERCIAL BANKS)

बैंकों को राष्ट्रीय नियोजन की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से सरकार ने 19 जुलाई, 1969 को बड़े व्यापारिक बैंकों (जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपये से अधिक थीं) का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये बैंक थे

1. सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, 2. पंजाब नेशनल बैंक, 3. बैंक ऑफ इण्डिया, 4. यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, 5. सिंडीकेट बैंक, 6. केमनरा बैंक, 7. बैंक ऑफ बड़ौदा, 8. यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, 9. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, 10. देना बैंक, 11. इलाहाबाद बैंक, 12. इण्डियन बैंक, 13. इण्डियन ओवरसीज बैंक, 14. बैंक ऑफ महाराष्ट्र।

15 अप्रैल, 1980 को सरकार ने 6 बड़े व्यापारिक बैंकों (जिनकी जमाएं 200 करोड़ रुपए से अधिक थी) का राष्ट्रीयकरण कर दिया : 1. आन्ध्रा बैंक, 2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक, 3. न्यू बैंक ऑफ इण्डिया, 4. विजया बैंक, 5. ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, 6. कॉर्पोरेशन बैंक।

वर्तमान में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की **कुल संख्या 20** से घटकर **19** रह गई है क्योंकि 4 सितम्बर, 1993 को

सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इण्डिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया।

1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय देश में बैंकों की **8,262 शाखाएं** थीं जिनमें से 1,860 शाखाएं (23% शाखाएं) ग्रामीण क्षेत्रों में थीं।